



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234207
CG-DL-E-15032022-234207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199]
No. 199]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2022/फाल्गुन 24, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2022/PHALGUNA 24, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

सा.का.नि. 202(अ).—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल, यांत्रिक इंजीनियरी और परिवहन(विद्युत) विभाग समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेल के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग में सहायक कार्यपालक यांत्रिक इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय और निर्माण कार्यालय में) या सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (मंडलों में) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल, सहायक कार्यपालक यांत्रिक इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय और निर्माण कार्यालय में) या सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (मंडलों में) समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहता.**— कोई भी व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक कार्यपालक यांत्रिक इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय तथा निर्माण कार्यालय में) या सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (मंडलों में)।	518* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसूचित।	स्तर-8 (47,600-1,51,100 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा। (i) 70% चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा; और (ii) 30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से	(क) 70% रिक्तियां यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के अनुसूचित वीय समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) और उससे ऊपर में की हो, द्वारा चयन के माध्यम से प्रोन्नति (जिसमें	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर या मुख्य यांत्रिक इंजीनियर - अध्यक्ष; 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

		प्रोन्नति द्वारा। लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा और सेवा के अभिलेख का निर्धारण सम्मिलित होगा) द्वारा भरी जाएंगी। टिप्पण: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु, यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ख) 30% रिक्तियां यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के अनुसचिवीय समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स स्तर-6 में (रु. 35,400-1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) और उससे ऊपर में की हो, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (जिसमें लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा और सेवा के अभिलेख का निर्धारण सम्मिलित होगा) द्वारा भरी जाएंगी।	सदस्य; और 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 से ऊपर में दिए गए अधिकारी के विभागों से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर या मुख्य यांत्रिक इंजीनियर – अध्यक्ष; 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी-सदस्य; और 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में दिए गए अधिकारी के विभागों से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य।	
--	--	---	---	--

[फा. सं. 2016/ई(जी)आरआर/15/2(यांत्रिक)
नवीन कुमार, संयुक्त सचिव(गोपनीय)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2022

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways, Department of Mechanical Engineering and Transportation (Power), Group 'B' posts Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Executive Mechanical Engineer (at Zonal Headquarter and Construction Office) or Assistant Divisional Mechanical Engineer (in Divisions) in the Mechanical Engineering Department of the Indian Railways, namely:-

1. Short title and commencement. (1)-These rules may be called the Indian Railways, Assistant Executive Mechanical Engineer (at Zonal Headquarter and Construction Office) or Assistant Divisional Mechanical Engineer (in Divisions) Group 'B', Gazetted Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

- i. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- ii. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post		Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Executive Mechanical Engineer (at Zonal Headquarter and Construction Office) or Assistant Divisional Mechanical Engineer (in Divisions)		518* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	level 8 (Rs. 47600-1,51,100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.		If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years.	By promotion. (i) 70 % by promotion through selection; (ii) 30% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.	(a) 70% of the vacancies shall be filled by promotion through selection (which shall include a written Test, viva-voce and assessment of record of service) from amongst non-ministerial Group 'C' staff of the Mechanical Engineering Department holding the post in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in pay matrix with three years regular service in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in the pay matrix. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1.Principal Chief Mechanical Engineer or Chief Mechanical Engineer of the concerned Zonal Railway or Production Unit - Chairman; 2.Principal Chief	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

			or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years' whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (b) 30% of the vacancies shall be filled through a Limited Departmental Competitive Examination (which shall include a written test, viva-voce and assessment of record of service) from amongst non-ministerial Group 'C' staff of the Mechanical Engineering Department holding the post in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in pay matrix with five years regular service in level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) and above in the pay matrix.	Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit - Member; and 3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officer at Serial Number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit - Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Principal Chief Mechanical Engineer or Chief Mechanical Engineer of the concerned Zonal Railway or Production Unit - Chairman; 2. Principal Chief Personnel Officer or Chief Personnel Officer of the concerned Zonal Railway or Production Unit - Member; and 3. Higher Administrative Grade or Senior Administrative Grade level officer of any Department (other than the Departments represented by officer at Serial Number 1 and 2 above) to be nominated by the General Manager of the concerned Zonal Railway or Production Unit - Member.	
--	--	--	---	--	--

[F. No. 2016/E(G)RR/15/2 (Mech.)]

NAVIN KUMAR, Jt. Secy. (Confidential)